



प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 30प्र0, लखनऊ।
- (2) परियोजना निदेशक, 30प्र0 एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी, 30प्र0, लखनऊ।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लि0, गोमती नगर, 30प्र0, लखनऊ।
- (4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, (साचीज), नव चेतना भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- (5) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- (6) महानिदेशक, परिवार कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।
- (7) महानिदेशक(प्रशिक्षण), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2026

विषय:- "हर घर तिरंगा कार्यक्रम-2026" के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त संस्कृति अनुभाग के पत्र संख्या-2225/चार-2026-1955062, दिनांक 05-08-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि "आजादी का अमृत महोत्सव" के तत्वाधान में वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा (जी0एच0टी0) अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य नगरिकों को अपने घरों कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों में यह राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के एक सफल अभियान बन चुका है।

3- इस संबंध में शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त 2026 के बीच 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वय जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में अभियान की चरण बद्ध रूप रेखा निम्नवत् है:-

1- प्रथम चरण - (दिनांक 06-08 अगस्त 2026)

I.	स्कूलों की दीवारों और बोर्ड को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाना।
II.	संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित हर घर तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

III.	स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
IV.	विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से भेजना।
V.	तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाजारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।
VI.	पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाये। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकन मनी के साथ किया जाये।
VII.	स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से कराया जाये।

2- द्वितीय चरण - (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)

I.	प्रत्येक जिलों में स्कूल/कालेज तथा तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता कराया जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों को आमंत्रित कर 26 जनवरी, जनवरी, 2027 को सम्मानित किया जाये।
II.	द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत दृढ़ 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉसर्ट आयोजित किया जाना।
III.	प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।
IV.	'तिरंगा मेला' के आयोजन में प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों स्थानीय उत्पादों (ODOP) तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / श्रृंगार सामग्री आदि) की बिक्री एवं प्रदर्शन किया जायेगा।
V.	मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन किया जायेगा।
VI.	चैबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।
VII.	वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम' का आयोजन किया जाना।
VIII.	प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भंडारों और स्थानीय बाजार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।
IX.	सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	सुनिश्चित की जाए।
X.	प्रत्येक नागरिक को 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।

3- तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त, 2026)

i.	दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
ii.	स्वतंत्रता दिवस के दिन बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की रैली निकाली जाये। रैली के प्रारम्भ से पूर्व वंदे मातरम् का गायन किया जाये। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाये। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा- खो-खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि का आयोजन किया जाये। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये गये जन-प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण किया जाये।
iii.	आंगड़बाड़ी केन्द्र/वृद्धाश्रमों/निरासित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधारगृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाये।
iv.	ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाये तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाय।
v.	समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।
vi.	प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजन/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजन तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।
vii.	स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थलों जैसे शहीद स्मारक मेरव चौरी-चौरा गोरखपुर, झांसी का किला, बिठूर कानपुर, रेजीडेन्सी लखनऊ, बलिया शहीद स्मारक, सुहेलदेव स्मारक बहराइच पर 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे- धनसिंह गुज्जर, शहीद बंधु सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मी बाई, चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, गुलाब सिंह लोधी, चन्द्र शेखर आजाद, रामचन्द्र विद्यार्थी जैसे शहीदों को याद किया जाये।
viii.	शहीद स्थलों / सुमारकों रकों पर पुलिस बैण्ड/पीएसी बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देशप्रेम संबंधी गीतों की धुन का वादन किया जाये।
ix.	प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाना।
x.	उक्त आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

xi.	तिरंगा रैली में एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/नेहरू युवा केन्द्र के साथ-साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेन्स के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाये।
-----	---

इस संबंध में संस्कृति विभाग द्वारा जन सहभागिता से "हर घर तिरंगा अभियान-2026" के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं संस्कृति विभाग से "हर घर तिरंगा अभियान-2026" का समन्वय श्रीमती रेनू रंग भारती, (मो0 नं0-9415068031) सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा किये जाने एवं समस्त जनपदों द्वारा कार्यक्रम की सूचना संस्कृति विभाग के पोर्टल <http://culturalevents.in> पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

3- अतः कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्तर से यथापेक्षित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अमित कुमार घोष

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2026/2001(1) /पांच-7-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धीरेन्द्र सिंह सचान

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।